**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 968**

**बुधवार 29 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**''मेक इन इंडिया'' के उद्देश्यों को पूरा करने की कार्यनीति**

**अता.प्र.सं. 968. श्री अजय संचेतीः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) 'मेक इन इंडिया' के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु क्या कार्यनीति अपनाई गई है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) सरकार व्यापार के वातावरण को सुधारने से संबंधित मुद्दों का समाधान कैसे करती है; और

(घ) क्या सरकार 'मेक इन इंडिया' के उद्देश्यों को समायोजित और पूरा करने हेतु औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

**(क) और (ख):** सितंबर, 2014 में ‘मेक इन इंडिया’ पहल की शुरूआत के बाद दिसंबर, 2014 में एक राष्‍ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा पहचान किए गए 22 क्षेत्रों के लिए एक-वर्षीय तथा तीन-वर्षीय परिप्रेक्ष्‍य के साथ कार्य-योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया था। सभी निवेश प्रश्‍नों के लिए प्रारंभिक सहायता के रूप में कार्य करने तथा निवेशकों को सहायक एवं संपर्क सेवाएं उपलब्‍ध कराने के लिए इन्‍वेस्‍ट इंडिया के संरक्षण में एक समर्पित ‘निवेशक सुविधा प्रकोष्‍ठ’ (आईएफसी) स्‍थापित किया गया है। जुलाई, 2014 से जून, 2015 के दौरान इन्‍वेस्‍ट इंडिया को कुल 12200 प्रश्‍न प्राप्‍त हुए थे। इनमें से, 11128 प्रश्‍नों का उत्‍तर 72 घंटे के जवाब समय में दे दिया गया था।

सरकार ने अनेक क्षेत्रों को एफडीआई के लिए खोला है। रक्षा क्षेत्र संबंधी नीति को उदार बनाया गया है और एफडीआई सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र में आधुनिक एवं अद्यतन प्रौद्योगिकी के लिए मामला-दर-मामला आधार पर 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। रेल अवसंरचना परियोजनाओं में निर्माण, प्रचालन तथा रख-रखाव के लिए स्‍वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, बीमा एवं चिकित्‍सा उपकरणों के लिए मानदंडों का उदारीकरण किया गया है।

**(ग) और (घ):** ‘व्‍यवसाय करने में आसानी’ में सुधार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें अनुबंध में दी गई है।

\*\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

**दिनांक 29 जुलाई, 2015, को उत्‍तर दिए जाने के लिए नियत राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 968 के भाग (ग) और (घ) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुबंध**

**भारत सरकार**

**वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय**

**औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग**

**(31.05.2015)**

**भारत में ‘व्‍यवसाय की आसानी’ में सुधार करने के लिए प्रमुख पहलें**

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने व्‍यवसाय की आसानी में सुधार के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। मौजूदा नियमों को सरल एवं तर्कसंगत बनाने त‍था और अधिक कुशल एवं प्रभावी सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की शुरूआत पर जोर दिया गया है। किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

1. **औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) तथा औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम**) के लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया गया है और यह सेवा अब ई-बिज वेबसाइट पर 24x7 आधार पर उद्यमियों के लिए उपलब्‍ध है। इससे आवेदन जमा करने तथा सेवा प्रभारों का ऑनलाइन भुगतान करने में आसानी हुई है। निम्‍नलिखित 14 सेवाओं को ई-बिज पोर्टल के साथ जोड़ा गया है जो विभिन्‍न सरकारों एवं सरकारी एजेंसियों से मंजूरियां प्राप्‍त करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में कार्य करेंगी:

|  |  |
| --- | --- |
| क. औद्योगिक लाइसेंस (डीआईपीपी) | ख. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (डीआईपीपी) |
| ग. ईएसआईसी में नियोक्‍ता पंजीकरण | घ. ईपीएफओ में नियोक्‍ता पंजीकरण |
| ङ. कंपनी के नाम की उपलब्‍धता (एमसीए) | च. निदेशक पहचान संख्‍या का आवंटन (डीआईएन) |
| छ. कंपनी के निगमन का प्रमाण-पत्र | ज. व्‍यवसाय के शुरूआत की घोषणा (एमसीए) |
| झ. आरबीआई का विदेशी सहयोग-सामान्‍य अनुमति मार्ग | ञ. अग्रिम विदेशी प्रेषण (आरबीआई) |
| ट. स्‍थायी खाता संख्‍या (पेन) | ठ. कर कटौती खाता संख्‍या (टेन) |
| ड. विस्‍फोटक लाइसेंस जारी करना (पीईएसओ) | ढ. आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी-डीजीएफटी) |

1. निर्यात एवं आयात के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेजों की संख्‍या तीन तक सीमित करने के लिए डीजीएफटी द्वारा दिनांक 12.03.2015 को अधिसूचना जारी की गई है।
2. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने एक कंपनी के निगमन के लिए एकीकृत प्रक्रिया शुरू की है जहां आवेदक निदेशक पहचान संख्‍या (डीआईएन) तथा निगमन आवेदन (फॉर्म आईएनसी-29) के साथ-साथ कंपनी के नाम की उपलब्‍धता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. कंपनियों के लिए न्‍यूनतम प्रदत्‍त पूंजी तथा सामान्‍य सील की आवश्‍यकता को समाप्‍त करने के लिए कंपनी संशोधन अधिनियम, 2015 पारित किया गया है। यह अन्‍य अनेक विनियामक आवश्‍यकताओं को भी सरल बनाता है।
4. मंजूरी देने के लिए राज्‍यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तुलनात्‍मक अध्‍ययन मैसर्स एसेंचर सर्विसेज (प्रा.) लि. के माध्‍यम से कराया गया था और **छ: सर्वोत्‍तम प्रथाओं** की पहचान की गई थी। इनके मूल्‍यांकन एवं इन्‍हें अपनाने के लिए सभी राज्‍यों के बीच परिचालित किया गया था। इस अध्‍ययन में उद्योगों द्वारा सामना की जा रही महत्‍वपूर्ण बाधाओं तथा राज्‍यों में व्‍यवसाय के वातावरण में सुधार के लिए आवश्‍यक महत्‍वपूर्ण कदमों की भी पहचान की गई है।
5. औद्योगि‍क लाइसेंस (आईएल) तथा औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएल) के लिए आवेदन फार्मों को सरल किया गया है।
6. प्रेस नोट 3 (2014) के द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के लिए रक्षा उत्‍पादों की सूची जारी की गई है, जिसमें अनेक पुर्जों/संघटकों, ढ़लाई/गढ़ाई इत्‍यादि को औद्योगिक लाइसेंस की सीमा से बाहर किया गया है। इसी प्रकार मिलिट्री तथा सिविलियन उपयोग वाली दोहरी मदों (जब तक रक्षा मद के रूप में वर्गीकृत नहीं है) को भी रक्षा की दृष्टि से औद्योगिक लाइसेंस की आवश्‍यकता नहीं होगी। इन मदों के लिए केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किया जाना है।
7. प्रेस नोट 5(2014) के द्वारा औद्योगिक लाइसेंस की शुरूआती वैधता अवधि को दो वर्ष से तीन वर्ष तक बढ़ाया गया है। यह लाइसेंसधारी को भूमि की अधिप्रप्ति तथा प्राधिकरणों से आवश्‍यक मंजूरियां/अनुमोदन प्राप्‍त करने के लिए पर्याप्‍त समय देगा।

9. गृह मंत्रालय ने निर्धारित किया है कि यह 12 सप्‍ताह के भीतर औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को सुरक्षा मंजूरी प्रदान करेगा। विस्‍फोटक एवं एफआईपीबी मामलों के अतिरिक्‍त मामलों में सुरक्षा मंजूरी तीन वर्षों के लिए वैध है जब तक की प्रबंधन अथवा हितधारक के संयोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

10. उत्‍पादन की आंशिक शुरूआत को लाइसेंस में शामिल की गई सभी मदों के उत्‍पादन की शुरूआत के रूप में समझा जा रहा है। इससे उत्‍पादन शुरू करने के बावजूद लाइसेंसधारी को अपने औद्योगिक लाइसेंस के विस्‍तार की कठिनाई का समाधान हो गया है।

11. निवेशकों की सहायता तथा उनके प्रश्‍नों के उत्‍तर के लिए, औद्योगिक लाइसेंस की अनुमति के लिए आवेदकों द्वारा **सतत रूप से पूछे गए प्रश्‍नों (एफएक्‍यू)** को तैयार किया गया है और **डीआईपीपी वेबसाइट** पर डाला गया है।

12. प्रेस नोट 4(2014) के द्वारा **एनआईसी कोड एनआईसी 2008** अपनाया गया है जो औद्योगिक व‍र्गीकरण का उन्‍नत संस्‍करण है। इस कोड से भारतीय व्‍यवसायी वैश्‍विक रूप से मान्‍य तथा स्‍वीकार किए गए वर्गीकरण का हिस्‍सा बन सकेंगे जिससे आसान अनुमोदन/पंजीकरण सुकर होगा।

13. प्रेस नोट 6(2014) के द्वारा ‘लाइसेंस युक्‍त रक्षा उद्योग के लिए सुरक्षा मैन्‍युल’ जारी किया गया है। यह आवेदकों से शपथ पत्र की आवश्‍यकता का समाधान करता है। पूर्व में आवेदक, से यह पुष्टि करने के लिए कि‍ वे रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित बचाव एवं सुरक्षा दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेड से हस्‍ताक्षिरित एक शपथ-पत्र अपेक्षित था। आवेदक इस प्रकार का शपथ-पत्र प्राप्‍त करने में कठिनाइयों का समाना कर रहे थे और इससे लाइसेंसिंग समिति के अनुमोदन के बाद भी लाइसेंस जारी करने में काफी विलंब हो रहा था।

14. खुदरा/एनआरआई/ईओयू विदेशी निवेशकों से संबंधित मामलों में विदेशी निवेशकों द्वारा भरे गए सभी आवेदनों की प्रक्रिया के लिए **विशिष्‍ट समय-सीमा के साथ एक जांच सूची** तैयार की गई है। इसे डीआईपीपी की वेबसाइट पर डाला गया है।

15. व्‍यवसाय की समग्र जीवन चक्र के दौरान निवेशकों के मार्गदर्शन, सहायता एवं संचालन के लिए ‘इन्‍वेस्‍ट इंडिया’ में एक निवेशक सुविधा केंद्र स्‍थापित किया गया है।

16. पर्यावरण एवं वन मंजूरियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पोर्टल [http://environmentclearance.nic.in/ और](http://environmentclearance.nic.in/%20और) <http://forestsclearance.nic.in> के माध्‍यम से ऑनलाइन बनाया गया है।

17. 20,000 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र से 150,000 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र से ऊपर के शिक्षा संस्‍थानों के लिए शेड, स्‍कूल, कॉलेज, हॉस्‍टल के लिए पर्यावरण मूल्‍यांकन रिपोर्ट की अपेक्षा आवश्‍यक है।

18. कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम (ईएसआईसी) के साथ पंजीकरण में लिए जाने वाला मामला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, महानिदेशक, ईएसआईसी तथा केंद्रीय भविष्‍य निधि आयुक्‍त के साथ उठाया गया था। दोनों प्रक्रियाओं को स्‍वत: और ईएसआईसी पंजीकरण संख्‍या को रीयल टाइम आधार पर प्रदान किया जा रहा है।

19. बैंकर समिति के माध्‍यम से एमएसएमई के पुनरूद्धार एवं पुनर्वासन को सुकर बनाने के एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है।

20. एलआईएन के लिए इकाईयों के पंजीकरण, निरीक्षण के रिपोर्टिंग, रिटर्न भरने तथा शिकायतों के समाधान के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत पोर्टल शुरू किया गया है।

21. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने भारत सरकार के सभी सचिवों तथा राज्‍य/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्‍य सचिवों से **विनियामक पर्यावरण को सरल एवं तर्क संगत बनाने** के लिए अनुरोध किया है। विनियामक व्‍यवसाय वातावरण में सुधार करने के उद्देश्‍य से प्राथमिकता आधार पर निम्‍नलिखित उपाय शुरू करने का अनुरोध किया गया है:

क. सभी रिटर्न एकीकृत फार्म के माध्‍यम से ऑनलाइन भरे जाने चाहिए;

ख. आवश्‍यक अनुपालन की एक जांच की एक सूची विभाग के वेब पोर्टल पर डाली जानी चाहिए;

ग. व्‍यवसाय द्वारा आवश्‍यक रूप से रखे जाने वाले सभी रजिस्‍टरों को एक सिंगल इलेक्‍ट्रानिक रजिस्‍टर में रखा जाना चाहिए;

घ. विभाग अध्‍यक्ष के अनुमोदन के बिना कोई निरीक्षण नहीं किया जाना चाहिए; और

ड. सभी गैर-जोखिम, गैर-खतरनाक व्‍यवसायों के लिए स्‍व-प्रमाणन की एक प्रणाली शुरू की जानी चाहिए।

22. वैट तथा व्‍यवसाय कर की पंजीकरण प्रक्रिया को महाराष्‍ट्र सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2015 से सिंगल आईडी सहित एक सिंगल प्रक्रिया में विलय कर दिया गया है।

23. दिल्‍ली में वैट के लिए पंजीकरण को ऑनलाइन कर दिया गया है। टिन आवंटन को रीयल टाइम कर दिया गया है और व्‍यवसाय को टिन संख्‍या प्राप्‍त होने पर तुरंत शुरू किया जा सकता है।

24. मुंबई में एक नया इलेक्ट्रिक कनेक्‍शन देने के लिए आवश्‍यक समय को 67 दिन से कम करके 21 दिन तक कम कर दिया गया है। इसमें शामिल अनेक प्रक्रियाओं को मौजूदा 7 से 3 कर दिया गया है।

25. दिल्‍ली में नए इलेक्ट्रिक कनेक्‍शन के लिए प्रक्रिया एवं समय को कम करने सहित प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।

26. दिल्‍ली नगर निगम ने दिनांक 16 मार्च, 2015 को आवासीय एवं औद्योगिक भवनों तथा मई, 2015 में वाणिजियक भवनों के लिए निर्माण अनुमति देने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है।

\*\*\*\*\*